

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:अद्वारह-233-2022 (एसआई लेखा) दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 28, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(24)-2022 दिनांक 21.11.2022 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 21 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 21 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में 31.10.2022 तक पुलिस निरीक्षक(लेखा) की 15 रिक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 06 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक (लेखा) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 15 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	1	862480037	श्री राम गोपाल सिंह	स्व० नाहर सिंह	05-04-1965	गौतमबुद्ध नगर	2022
2	2	872321063	श्री अतुल्य कुमार	रविन्द्र नाथ सिन्हा	01-01-1964	संतकबीर नगर	2022
3	6	872070255	श्री लाला राम	श्री रामेश्वर दयाल	01-02-1964	जी०आर०पी० अनुभाग मुरादाबाद	2022
4	7	880820327	श्री निशीथ कुमार मिश्रा	श्री भगवती प्रसाद मिश्रा	30-06-1966	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2022
5	9	882762629	श्री फौजिया जाफरी	श्री इमत्याज हसन	01-07-1970	अयोध्या	2022
6	9	892440289	श्री भूपेन्द्र कुमार सहाय	श्री राम प्रताप	07-07-1963	सी०बी०सी०आई०डी०	2022
7	16	890820320	श्री अरुण कुमार त्रिपाठी	श्री रूप नारायण त्रिपाठी	08-11-1962	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2022
8	10	892541038	हेमा रौतेला	श्री चन्द्र मोहन काला	10-07-1970	बागपत	2022
9	15	902290152	श्री दिलीप कुमार	श्री हाकिम सिंह	02-02-1971	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद	2022
10	16	902470198	श्री योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सर्व देव गुप्ता	01-01-1964	जी०आर०पी० अनुभाग प्रयागराज	2022
11	17	900590641	कु० रेखा	स्व० मनीलाल वाजपेई	02-12-1968	28वीं वाहिनी पी०ए०सी	2022
12	18	900530296	श्री अनीश अहमद सिद्दीकी	महबूब अली	01-02-1966	गोण्डा	2022
13	19	911022811	निरूपमा सिंह	श्री मनोज कुमार	11-12-1971	बागपत	2022
14	22	912150220	रविराज सिंह रावल	बुद्ध प्रकाश सिंह रावल	15-06-1964	47पी०ए०सी गा०बाद	2022
15	24	920840016	सुनील कुमार श्रीवास्तव	स्व. शिवप्रसाद श्रीवास्तव	15-07-1972	देवरिया	2022

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

स्व. 15/11/22

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89- का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

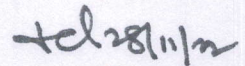
- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)



(संजय सिंह)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय/सी0बी0सी0आई0डी0 लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद।
- 4-पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
- 5-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
- 6-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 7-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद-अयोध्या/संतकबीरनगर/बागपत/गोण्डा/देवरिया
- 8-पुलिस अधीक्षक, रेलवे, जीआरपी अनुभाग-मुरादाबाद/प्रयागराज।
- 9-सेनानायक, 28वीं/47वीं वाहिनी पीएसी।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:अव्ठारह-233-2022(एस0आई0 लेखा) दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 28, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997, दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2(क),(ख),(ग)में अंकित परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क0 सं0	वरिष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	मुहर बन्द लिफाफे का चयन वर्ष	संस्तुति/वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	10	892511400	श्री अनन्त सिंह	श्री हरदेव सिंह	02-09-1967	खीरी	2022	मुहर बन्द लिफाफा (रिक्ति सुरक्षित) 07/22

2- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

(संजय सिंघल)

(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, खीरी।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।